



भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय)

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

A Statutory Body under the Ministry of Social Justice and Empowerment

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

8-A/Policy(Recog.)/2009/RCI/

19 जनवरी, 2018

परिपत्र

विषय: वर्ष 2016 में जमा किये गए प्रस्तावों को वर्ष 2017-18 के बजाय वर्ष 2018-19 के लिए विचार किया जाना

उपरोक्त विषय पर परिषद् के परिपत्र संख्या 8-A/Policy(Recog.)/2009/RCI/ दिनांक 8th जनवरी, 2018 एवं परिपत्र संख्या 8-A/Policy(Recog.)/2009/RCI/ दिनांक 16th जनवरी, 2018 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गए थे कि वर्ष 2016 में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए जो आवेदन /प्रस्ताव State NOC विलम्ब से प्राप्त होने के कारण विचार नहीं किये जा सके थे उनके लिए यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि 2016 में जमा किये गए ऐसे प्रस्ताव जिनकी State NOC तथा संस्था की सहमति पत्र परिषद् में 30/09/2017 तक प्राप्त हो गयी थी उन प्रस्तावों को निरीक्षण हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए विचार किया जा सकता है।

परन्तु यह पाया गया है कि अधिकांश संस्थान जिन्होंने वर्ष 2017 में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए आवेदन किया है वह भी अनावश्यक रूप से उक्त परिपत्र पर सूचनाएँ भेज रहे हैं जो उपयोगी नहीं हैं।

अतः सभी सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था केवल उन संस्थाओं के लिए है जिन्होंने वर्ष 2016 में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए आवेदन किया था। वर्ष 2017 में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए जिन्होंने प्रस्ताव / आवेदन किया है यह व्यवस्था उनके लिए लागू नहीं है, अतः वह इस रूप पत्र सूचना नहीं भेजे ।


19/01/2018

(एस० के० श्रीवास्तव)

सदस्य सचिव

बी-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110 016

B-22, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 016

Tel.: 011-2653 2408, 2653 2384, 2653 4287, 2653 2816 Fax : 011-2653 4291

E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in , rehccouncil_delhi@bol.net.in

Website : www.rehabcouncil.nic.in

Please Recycle 